



157/25

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

राजस्थान सरकार  
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़(राज.)  
 (पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर - 2025 कैम्प कोर्ट)

कैम्प कोर्ट का स्थान.....वालाडा.....दिनांक :- 27/09/25

-:: आदेश ::-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी वालाडा व भू-अभिलेख निरीक्षक विश्वेश्वर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार कपासनकी अनुशंघा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम उदमराम तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़की जमावन्दी सम्वत् 2074 से 2077 जमावन्दी 2075(वर्ष 2018) से स्थायी में खाता संख्या 07.64 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि कोइ निम्नलिखित रुप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं.	ग्राम का नाम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	<u>उदमराम</u>	<u>07.64</u>	<u>उदमराम जिला चित्तौड़गढ़ जालि - चमार खे. ज. व.</u>	<u>उदमराम जिला चित्तौड़गढ़ जालि - जालिया खे. ज. व.</u>

(र)  
 पीठासीन अधिकारी -  
 उपायुक्त कलक्टर  
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.  
 कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़  
 दिनांक :- 27/09/25

क्रमांक / रा.ज.स. / 2025 / 157  
 प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार, उदमराम को भेज कर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री उदमराम जिला चित्तौड़गढ़ जालिया को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

(र)  
 पीठासीन अधिकारी -  
 उपायुक्त कलक्टर  
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.  
 कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़  
 कपासन जिला चित्तौड़गढ़